प्रेस विज्ञप्ति   दिनांक 15.11.2024

थाना शहाबगंज जनपद चन्दौली

♦ थाना शहाबगंज पुलिस टीम द्वारा 01 शातिर चोर को किया गया गिरफ्तार, अभियुक्त के कब्जे से चोरी का 01 ट्रैक्टर को किया गया बरामद

चन्दौली- पुलिस अधीक्षक चन्दौली श्री आदित्य लांग्हे द्वारा जनपद में अपराध व अपराधियों पर प्रभावी अंकुश लगाये जाने तथा चोरी की घटनाओं तथा चोरों के विरूद्ध कार्यवाही किये जाने हेतु दिये गये निर्देशों के क्रम मे पुलिस अधीक्षक/ अपर पुलिस अधीक्षक आपरेशन अनिल कुमार यादव व क्षेत्राधिकारी चकिया राजीव कुमार सिसौदिया के पर्यवेक्षण मे थानाध्यक्ष शहाबगंज मिर्जा रिजवान बेग के कुशल नेतृत्व में शहाबगंज पुलिस टीम द्वारा मु0अ0सं0 115/2024 धारा 303(2) से सम्बन्धित अभियोग में आज दिनांक 15.11.2024 को चेकिंग के दौरान ग्राम बड़ौरा के पास एक शातिर चोर को गिरफ्तार करते हुए चोरी किये गये ट्रैक्टर को अभियुक्त के कब्जे से 24 घंटे के अन्दर बरामद कर लिया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्त के विरूद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है ।

पूर्व की घटना-

दिनांक 13/14.11.2024 की रात्रि किसान सेवा केन्द्र पेट्रोल पंप सोबन्था से आयशर ट्रैक्टर को अज्ञात चोरो ने चोरी कर लिया था। जिसके सन्दर्भ में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 115/2024 धारा 303(2),217(बी) बीएनएस में अभियोग पंजीकृत किया गया।

पूछताछ अभियुक्त-

गिरफ्तार अभियुक्त द्वारा पूछताछ में बताया गया कि यह ट्रैक्टर किसान सेवा केन्द्र पेट्रौल पम्प सोबन्था से दिनांक 14.11.2024 की रात्रि मे चुराया था तेज गति से ट्रैक्टर लेकर भागते समय ट्रैक्टर की ट्राली का हुक टूट गया ट्राली को रास्ते मे ही छोड़कर ट्रैक्टर लेकर भाग गया था। आज बिहार बेचने हेतु ले जा रहा था।

नाम पता अभियुक्त-

1. राज कुमार पुत्र संतू राम निवासी ग्राम सिंघरौल थाना शहाबगंज जनपद चन्दौली उम्र करीब 27 वर्ष

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-

1.मु0अ0सं0 115/2024 धारा 303(2),217(बी) भारतीय न्याय संहिता थाना शहाबगंज जनपद चन्दौली

बरामदगी का विवरण-

1. 01आयसर ट्रैक्टर (UP 67Y 7488)

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

1. मिर्जा रिजवान बेग- थानाध्यक्ष थाना शहाबगंज जनपद चन्दौली
2. उ0नि0 संतोष कुमार
3. उ0नि0 रामचन्द्र शाही
4. हे0का0 सुरेश कुमार सिंह प्रथम
5. का0 मनीष यादव
6. का0 सर्वजीत सिंह

थाना नौगढ़ जनपद चन्दौली

□ थाना नौगढ़ पुलिस द्वारा नौगढ के जंगल के रास्ते बिहार वध हेतु पैदल हांककर ले जाते समय 126 राशि गोवंशों को किया गया बरामद

पुलिस अधीक्षक चन्दौली, श्री आदित्य लांग्हे द्वारा अपराध एवं अपराधियो के विरूद्ध अंकुश लगाने हेतु दिये गये निर्देश के क्रम में पुलिस अधीक्षक/अपर पुलिस अधीक्षक ऑपरेशन अनिल कुमार यादव व क्षेत्राधिकारी नौगढ़ कृष्ण मुरारी शर्मा के कुशल मार्गदर्शन में दिनांक 15.11.2024 को थानाध्यक्ष कृपेन्द्र प्रताप सिंह मयहमराह को मुखबिर से सूचना मिली कि कुछ गोतस्कर नौगढ़ के जंगल के रास्ते गोवशींय पशुओं को वध हेतु बिहार ले जा रहे है। सूचना प्राप्त होने पर तत्काल थानाध्यक्ष नौगढ़ मयहमराह द्वारा ग्राम कोइलरवा हनुमान मंदिर के पास वन विभाग के लगे बोर्ड के पास से समय लगभग रात्रि 01.30 बजे 126 राशि गोवंश को वध हेतु क्रूरता पूर्वक एक दूसरे में बांध कर मारते पीटते पैदल हांककर बिहार ले जाते बरामद किया गया। अभियुक्तगण जंगल झाडी व अंधेरे के का फायदा उठाकर फरार हो गये। जिनकी तलाश जारी है। बरामदगी के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0स0 111/24 धारा 3/5A/5B/8 गोवध नि0 अधि0 व 11 पशु क्रूरता नि0 अधि0 पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

पजीकृंत अभियोग –

मु0अ0सं0 111/2024 धारा 3/5A/5B/8 गोवध नि0 अधि0 व 11 पशु क्रूरता नि0 अधि0 थाना नौगढ,चन्दौली

बरामदगी –

1. 126 ऱाशि गोवंश जिन्दा

बरामदगी/ गिरफ्तारी करने वाली टीम का विवरण –

1.थानाध्यक्ष कृपेन्द्र प्रताप सिंह थाना नौगढ जनपद चन्दौली
2.उ0नि0 मनोज कुमार तिवारी चौकी प्रभारी चन्द्रप्रभा थाना नौगढ जनपद चन्दौली
3.उ0नि0 अनन्त कुमार भार्गव थाना नौगढ जनपद चन्दौली
4.हे0क0 आशुतोष सिंह थाना नौगढ जनपद चन्दौली
5.हे0का0 परशुराम थाना नौगढ जनपद चन्दौली
6.का0 सतीश यादव थाना नौगढ जनपद चन्दौली
7.का0 सूरज कुमार यादव यादव थाना नौगढ जनपद चन्दौली